**संख्याः म.ले./ले.प.-I/ई.डी.पी./2026-27/के-60/** 0-203 **दिनांकः 09/07/2026**

## ई-नीलामी अधिसूचना

**विषयः** कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर, जनपथ, जयपुर 302005 में पड़े ई-अपशिष्ट (अनुपयोगी, अप्रचलित एवं आर्थिक मरम्मत योग्य नहीं (बीईआर) वस्तुओं) की नीलामी हेतु "जैसा है जहां है" के आधार पर ई-नीलामी बोलियां आमंत्रित करने बाबत।

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान जयपुर द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से ई-कचरा (अनुपयोगी, अप्रचलित और आर्थिक दृष्टि से मरम्मत से परे) वस्तुओं की नीलामी के लिए "जैसी है जहां है के आधार पर" ई-अपशिष्ट वस्तुओं (आईटी मदों) के निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत या किसी अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत ई-अपशिष्ट के पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता/पुनर्संसाधनकर्ता/संग्रहण केंद्र/विघटनकर्ताओं से ऑनलाइन ई-नीलामी बोलियां आमंत्रित की जाती है।
2. यदि आपकी फर्म उपरोक्त नीलामी में रुचि रखती है, तो आपसे अनुरोध है कि आप दो बोली प्रणाली के माध्यम से अपनी प्रतिस्पर्धी उच्चतम कीमतें उद्धृत करें।
   a. **तकनीकी बोली** अनुलग्नक- "क" और "ख" के साथ सहायक दस्तावेज शामिल हों।
   b. **वित्तीय बोली** जिसमें केवल अनुलग्नक- "ग" शामिल हो।
3. वित्तीय बोली केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए ही खोली जाएगी।
4. संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया की समय-सीमा इस प्रकार हैः

| | |
|---|---|
| बोली संख्या | **म.ले./ले.प.-I/ईडीपी/2026-27/के-60/ दिनांकः 09/07/2026** |
| **बोली आरंभ तिथि एवं समय** | 09-07-2026 एवं 11:30 बजे. |
| **बोली समाप्ति तिथि एवं समय** | 30-07-2026 एवं 11:30 बजे. |
| **बोली प्रस्तुत करना** | बोली, कार्यालय के पते पर उपस्थित होकर स्वयं अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत करनी होगी। |
| **न्यूनतम आरक्षित मूल्य** | **₹ 1,86,879/-** |
| **सम्पर्क करने का विवरण** | प्रशासनिक उद्देश्य हेतु संपर्क करें<br>श्री रतिकांत शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी |

| | |
|---|---|
| **ईएमडी** | 5,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के माध्यम से "PAO IAAD Rajasthan Jaipur" के पक्ष में जयपुर में देय होगा। |
| **ई-अपशिष्ट सामग्री का निरीक्षण** | दिनांक 20-07-2026 से 24-07-2026 तक 11:00 बजे से 16.30 बजे के बीच |
| **कार्यालय का पता** | कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, स्टेच्यू सर्किल के पास, "सी" स्कीम, जनपथ, जयपुर 302005 |

***नोटः अगर अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ में कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही अधिकृत एवं मान्य होगा।***

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ईडीपी)

## दस्तावेज़ का उद्देश्य

भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ता/ पुनः प्रसंस्करणकर्ता/ संग्रहण केंद्र/ विघटनकर्ता से ई-अपशिष्ट वस्तुओं (कम्प्यूटर वस्तुओं) के निपटान के लिए **"जैसा है जहाँ है के आधार"** पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जनपथ, जयपुर, 302005 में पड़े डिस्पोजेबल ई-कचरे की विस्तृत सूची नीचे दी गई हैः

| क्रम सं. | मदों का नाम | मात्रा |
|---|---|---|
| 1. | लैपटॉप | 112 |
| 2. | डेस्कटॉप (मॉनीटर/कीबोर्ड/माउस के साथ अथवा बिना) | 20 |
| 3. | कैम/ वेबकैम | 19 |
| 4. | प्रिंटर | 23 |
| 5. | स्कैनर | 6 |
| 6. | यूपीएस | 43 |
| 7. | सीडी राइटर | 1 |
| 8. | प्रोजेक्टर | 2 |
| 9. | हार्ड डिस्क | 13 |
| 10. | सर्वर | 6 |
| 11. | सर्वर रैक / नेटवर्क रैक | 2 |
| 12. | बायोमेट्रिक उपकरण | 1 |
| 13. | जीपीएस रिसीवर | 1 |
| 14. | डेट ड्राइव (Dat Drive) | 1 |
| 15. | विविध वस्तुएं (इस्तेमाल किए गए टोनर/बैटरी इत्यादि) | 180 |
| | **कुल** | **250+180** |

## नियम और शर्तें (जीसीएस)

**1. न्यूनतम पूर्व-योग्यता / पात्रता मानदंड**

बोलीदाता(ओं) को नीचे दिए गए न्यूनतम पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड पूरे करने होंगेः

| क्र.सं. | न्यूनतम पात्रता मानदंड | जमा किए जाने वाले सहायक दस्तावेज़ |
|---|---|---|
| 1. | बोलीदाताओं को ई-अपशिष्ट का प्रमाणित पुनर्चक्रणकर्ता होना आवश्यक है, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत हो। | बोलीदाताओं को कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या किसी अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्वयं-सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। |
| 2. | बोलीदाता के पास वैध PAN कार्ड और GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना चाहिए। | PAN कार्ड और GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति। |
| 3. | बोलीदाता को किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) जमा कराना होगा। | मूल डिमांड ड्राफ्ट |

**2. निस्तारण योग्य ई-अपशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षणः**

a. ई-अपशिष्ट के रूप में अप्रचलित वस्तुओं का निपटान **"जैसा है जहां है"** के आधार पर किया जाएगा और इस कार्यालय द्वारा इनके विवरण/गुणवत्ता/मात्रा की पात्रता की कोई गारंटी/वारंटी या प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा।

b. बोलीदाता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि **20-07-2026 से 24-07-2026 के बीच सुबह 11:00 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच** कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जनपथ, जयपुर 302005 में वस्तुओं/सामग्री का निरीक्षण कर सकता है।

c. केवल बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, इस कार्यालय के प्राधिकृत कार्मिकों के साथ, दी गई समय-सारणी के अनुसार, सामग्री के साइट विज़िट की अनुमति दी जाएगी।

d. बोलीदाता बोली जमा करने से पहले सामग्री का बाहरी तौर पर निरीक्षण कर सकते है एवं स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप/लैपटॉप/प्रिंटर को बूट(चालू) करने या खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

e. यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं को सामग्री के बारे में पूरी जानकारी है, चाहे उन्होंने उसका निरीक्षण किया हो अथवा नहीं; तथा गलतफहमी या किसी अन्य कारण से इसमें कोई भी अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी।

**3. नीलामी बोली सुरक्षा / बयाना राशि (ईएमडी):**

a. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे **संलग्न अनुलग्नक क, ख एवं ग को भरकर** संबंधित सहायक दस्तावेजों और **5000/- रुपये (पांच हजार रुपये केवल)** की बयाना राशि के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के नाम पर "PAO IAAD Rajasthan Jaipur" के पक्ष में जयपुर में देय **डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में जमा करें।

b. अगर बोलीदाता अपनी बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली को एकतरफा रूप से वापस लेता है, उसमें कोई बदलाव करता है, उसे क्षीण करता है या किसी भी तरह से उससे पीछे हटता है, तो बयाना राशि (ईएमडी) ज़ब्त कर ली जाएगी।

c. सफल बोलीदाता को कार्यादेश जारी होने के बाद, सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि (ईएमडी) लौटा दी जाएगी।

d. सफल बोलीदाता को प्रस्ताव मूल्य का 25% सुरक्षा-जमा के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना होगा, जो "PAO IAAD Rajasthan Jaipur" के पक्ष में जयपुर में देय होगा।

e. अगर सफल बोलीदाता, अवॉर्ड लेटर में बताई गई समय-सीमा के अंदर पूरी सुरक्षा-जमा/कोट की गई रकम जमा नहीं कर पाता है, तो अवॉर्ड किए गए लॉट की नीलामी रद्द कर दी जाएगी और बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी)/ सुरक्षा-जमा पूर्ण रूप से ज़ब्त कर ली जाएगी।

f. बोलीदाताओं को अवार्ड/स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर (जारी होने की तारीख को छोड़कर) सारा ई-अपशिष्ट उठाना/ले जाना होगा। सक्षम प्राधिकारी अवार्ड वैल्यू के 0.5% प्रति दिन की दर से ग्राउंड रेंट लगाकर इस समय-सीमा को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई उचित कारण हो, तो सक्षम प्राधिकारी इसे माफ भी कर सकते हैं। ग्राउंड रेंट की अधिकतम सीमा सुरक्षा-जमा (ऑफर वैल्यू का 25%) तक होगी; इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा और सुरक्षा-जमा पूरी तरह ज़ब्त कर लिया जाएगा।

g. नीलामकर्ता ऐसे रद्दीकरण/कैंसलेशन के कारण हुए किसी भी खर्च और/या आकस्मिक/परिणामी नुकसान की भरपाई करने का भी हकदार होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा किसी भी तरह के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

h. ई-नीलामी की वैधता अवधि के दौरान अथवा किसी भी परिस्थिति में बयाना राशि (ईएमडी)/ सुरक्षा-जमा की राशि जारी न करने पर इस कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

**4. नीलामी की कीमतः**

a. कीमतें सिर्फ भारतीय रुपयों में ही बताई गई हों।

b. बताई गई कीमत एकमुश्त (lump-sum) आधार पर होगी और इसमें सभी लागू लागतें, शुल्क, कर और ड्यूटी शामिल होंगे। किसी भी तरह के अन्य सभी शुल्क, ड्यूटी और खर्च बोलीदाता को भरण करने होंगे। किसी भी कारण से कीमत में बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

**5. अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) प्रदान करनाः**

a. जो बोलीदाता सबसे ज़्यादा कीमत की पेशकश करेगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा।

b. कार्यालय सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले सफल बोलीदाता को एक्सेप्टेंस/अवार्ड लेटर जारी करेगा।

c. बोलीदाता को अवार्ड लेटर की डुप्लिकेट कॉपी पर, जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहर और हस्ताक्षर करके पावती देनी होगी।

**6. न्यूनतम आरक्षित मूल्य (MRP):**

इस कार्यालय ने न्यूनतम आरक्षित मूल्य (MRP) ₹1,86,879/- (एक लाख छियासी हज़ार आठ सौ उन्यासी रुपये) तय किया है। किसी भी स्थिति में कोट की गई कीमत MRP से कम नहीं होनी चाहिए; यदि ऐसा होता है, तो पूरी टेंडर प्रक्रिया रद्द मानी जाएगी और इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। GST/माल ढुलाई (फ्रेट) से संबंधित खर्च (यदि हो तो) बोलीदाता को ही उठाना होगा।

**7. किसी भी नीलामी को स्वीकार करने, किसी भी/समस्त नीलामियों को अस्वीकार करने का अधिकारः**

यह कार्यालय कारण बताते हुए सबसे ऊंची बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में किसी भी दावे/शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

**8. उप-अनुबंधः**

यह निविदा (टेंडर) किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। न तो कॉन्ट्रैक्ट और न ही कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया गया कोई भी अधिकार बोलीदाता द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से बेच, लीज़/सब-लीज़, असाइन या किसी और तरह से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता; और ऐसा कोई भी प्रयास (बेचने, लीज़ पर देने, असाइन करने या अन्य तरह से ट्रांसफर करने का) अमान्य और बेअसर माना जाएगा। बोलीदाता, अपने कर्मचारियों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट के तहत वेंडर के लिए अपेक्षित किसी भी कार्य, सेवा या अन्य काम करने की अनुमति नहीं देगा।

**9. सामान्य शर्तें:**

a. प्रस्तावित वस्तुओं का लॉट **"जैसा है, जहाँ है"** के आधार पर नीलाम किया जाता है। अलग-अलग मेक, मॉडल और टाइप के ई-अपशिष्ट का निपटान पूरी तरह से इस शर्त पर किया जाता है कि बोलीदाता ने चीज़ों का निरीक्षण कर लिया है। इस मामले में किसी भी शिकायत/ दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

b. सफल बोलीदाता और इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) की मौजूदगी में सामग्री को मौके पर ही गिना/तौला जाएगा और कार्यालय परिसर से बाहर ले जाने से पहले दोनों पक्षों द्वारा उस पर मंजूरी दी जाएगी।

c. इस प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने के समय से ही, सारी सामग्री/वस्तुएं हर प्रकार से खरीददार की जोखिम पर रहेंगी। डिलीवरी कन्फ़र्म होने के बाद, सामग्री को सुरक्षित रखने, उसकी सुरक्षा या देखभाल की कोई भी ज़िम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। नीलामी स्वीकार हो जाने के बाद, सामान की गुणवत्ता या उसके विवरण के बारे में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

d. नीलाम की गई सामग्री को तय तिथि तक न हटाने पर वह इस कार्यालय की संपत्ति मानी जाएगी और इस कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी सूचना के, जैसा वह उचित समझे वैसे, इस प्रकार की सामग्री का निपटान कर सकता है।

e. ई-अपशिष्ट नीति/निर्देशों के अनुसार आवश्यक सभी फ़ॉर्म/दस्तावेज बोलीदाता को ही जमा करने होंगे।

f. स्थल (साइट) से सामग्री हटाते समय इस कार्यालय या परिसर में मौजूद किसी अन्य कार्यालय की मौजूदा संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। सफल बोलीदाता या उनके अधिकृत कर्मचारी/पर्यवेक्षक की लापरवाही या किसी हरकत के कारण इस कार्यालय या परिसर में मौजूद किसी अन्य कार्यालय की संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान/क्षति, या किसी व्यक्ति को लगी चोट या दुर्घटना की पूरी ज़िम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी और उन्हें इसके लिए खर्च/हर्जाना देना होगा।

**10. कार्य क्रियान्वयन प्रक्रिया (जॉब एग्जीक्यूशन प्रोसेस):**

a. **संविदाकार (कांट्रेक्टर) को सामग्री उठाने की तय तिथि से कम से कम तीन कार्यदिवस पहले सूचना देनी होगी।**

b. भुगतान की पूरी राशि मिलने की पुष्टि होने के बाद ही साइट से सामग्री ले जाने की अनुमति दी जाएगी। सामग्री उठाने/ले जाने का काम संविदाकार इस कार्यालय द्वारा बोलीदाता से सलाह-मशविरा करने के बाद तय की गई तिथि एवं समय पर ही कर सकेगा।

c. संविदाकार को सामान उठाने के लिए अपना वाहन स्वयं लाना होगा और सामान की पैकिंग तथा उसे उठाने के लिए ज़रूरी मज़दूर, बैग एवं दूसरी चीज़ें भी स्वयं ही लानी/लगानी होंगी। इस मामले में विभाग की तरफ़ से कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

d. अनुप्रयुक्त सामग्री को उठाने का काम केवल इस कार्यालय द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी की देखरेख में ही किया जाएगा।

e. सामग्री को सिर्फ़ तय स्थल(स्थलों) से ही और आवश्यक सुरक्षा/गेट-पास जारी होने के बाद ही उठाने/ले जाने की अनुमति होगी।

f. संविदाकार सामग्री रखने के स्थान को पूरी तरह साफ़-सुथरा करके जायेगा।

g. संविदाकार को सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। साथ ही, अनुबंध के तहत सामान बाहर ले जाते समय उसके अपने कर्मचारियों/व्यक्तियों या कार्यालय परिसर में मौजूद अन्य व्यक्तियों को चोट लगने पर मुआवज़े की किसी भी देनदारी तथा इस कार्यालय की इमारत/संरचना/संपत्ति को किसी भी गलती, लापरवाही, जानबूझकर किए गए कार्यों, चूक या किसी भी अन्य कारण से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की ज़िम्मेदारी/देनदारी से इस कार्यालय को सुरक्षित/मुक्त रखा जायेगा तथा खर्च/हर्जाना संविदाकार को स्वयं देना होगा।

**11. आदेश का निष्पादनः**

a. सफल बोलीदाता को एक बार दिया गया कोई भी सामान, किसी भी शर्त पर वापस नहीं लिया जाएगा।

b. सामग्री (ई-अपशिष्ट) उठाते समय नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पर एक शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) देना होगा कि इन वस्तुओं को ऐसे उत्पादों/वस्तुओं पर लागू मौजूदा सरकारी नीतियों/प्रक्रियाओं के अनुसार रीसायकल/प्रोसेस किया जाएगा।

c. बिंदु सं. (b) के अनुसार अंडरटेकिंग जमा करने के 10 दिनों के बाद सफल बोलीदाता/ पुनर्चक्रणकर्ता (री-साइकलर) को बयाना राशि (ईएमडी) जारी कर दी जाएगी।

12. **हानिकारक अपशिष्ट की बिक्री** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)/ पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुसार होगी।

a) बोलीदाता को **बोली के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/ प्रदूषण नियंत्रण समिति (PCC) या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकरण द्वारा जारी वैध पंजीकरण/प्राधिकरण प्रमाण-पत्र की स्वयं-सत्यापित प्रति, जो बिक्री के लिए पेश की गई अपशिष्ट सामग्री की श्रेणी के लिए लागू हो, जमा करनी होगी।** मटीरियल की डिलीवरी लेने से पहले, ज़रूरत पड़ने पर बोलीदाता को प्रमाणीकरण के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वैध और लागू पंजीकरण/प्राधिकरण प्रमाण-पत्र, दस्तावेज न देने पर बोली को अस्वीकार और/या रद्द किया जा सकता है।

b) अगर **सामग्री एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाती है,** तो सफल बोलीदाता की ही यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह सामग्री की डिलीवरी लेने से पहले सीपीसीबी, एसपीसीबी/पीसीसी (CPCB, SPCB/PCC),

या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकरण से लागू कानूनों और नियमों के तहत सभी आवश्यक विधिक मंज़ूरी, अनुमति, प्राधिकार, मैनिफेस्ट, घोषणा, सूचना एवं अन्य जरूरी चीजें हासिल करें और उनका पालन करें। नियमों की अवमानना करने से होने वाले किसी भी परिणाम की संपूर्ण ज़िम्मेदारी बोलीदाता की होगी; साथ ही, विक्रेता को बोली को अस्वीकार करने, बिक्री रद्द करने, सामग्री की डिलीवरी रोकने, जमा राशि ज़ब्त करने, अथवा कोई अन्य उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

**13. अतिरिक्त नियम एवं शर्तें**

किसी भी तरह के विवाद/मतभेद को मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के ज़रिए सुलझाया जाएगा। विक्रेता (यह कार्यालय) और खरीदार (बोली लगाने वाली फ़र्म) सबसे पहले आपसी बातचीत से मतभेदों/विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करेंगे।

**वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (ईडीपी)**

(राज.)
जयपुर

## अनुलग्नक – 'क'

## अनिवार्य सूचना
## (तकनीकी बोली)

| क्र.सं. | विवरण | सूचना | |
|---|---|---|---|
| 1. | आवेदक/फर्म का नाम | | |
| 2. | राष्ट्रीयता | | |
| 3. | पता (बिजली बिल/लैंडलाइन बिल या पते के प्रमाण की कोई अन्य प्रमाणित प्रति संलग्न करें) | पंजीकृत कार्यालय का पता | |
| | | प्रधान कार्यालय का पता | |
| 4. | टेलीफोन नंबर | लैंडलाइन/मोबाइल नं. | |
| | | फैक्स नं. | |
| | | ईमेल आईडी | |
| 5. | अन्य विवरण (बोलीदाताओं को प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करनी होगी) | पैन PAN विवरण | |
| | | पंजीकरण संख्या | |
| | | के.प्र.नि.बो./ रा.प्र.नि.बो. | |
| 6. | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में (एमओईएफ)/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा ई-अपशिष्ट (कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री) के पुनर्चक्रणकर्ता/ पुनःप्रसंस्करणकर्ता/ संग्रहण केन्द्र /विघटनकर्ता के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण। | | हां / नहीं |
| 7. | फर्म की संरचना/गठन | व्यक्तिगत | |
| | | एकल स्वामित्व संबंधी | |
| | | साझेदारी फर्म | |
| | | पब्लिक लिमिटेड कंपनी | |
| | | प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अन्य | |
| 8. | बयाना राशि (ईएमडी) जमा करने का प्रमाण | | हां / नहीं |
| 9. | बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट/ईएमडी) विवरण | राशि (₹ में) | |
| | | डीडी नंबर | |
| | | जारी करने की तिथि | |
| | | जारी करने वाले बैंक का नाम | |
| | | जारी करने वाले बैंक का पता | |
| 10. | ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम- 2022 या भारत सरकार/संबंधित प्राधिकरण द्वारा या समय-समय पर संशोधित अन्य शर्तों के अनुसार स्याही/टोनर कार्ट्रिज आदि सहित कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग/पुनः बिक्री के संबंध में घोषणा। | | हां / नहीं |
| 11. | मूल पंजीकरण पप्रमाणपत्रों की प्रतियां | | |
| | a. निगमन/ पंजीकरण दस्तावेज | | हां / नहीं |
| | b. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र | | हां / नहीं |
| | c. पैन कार्ड नंबर | | हां / नहीं |
| | d. कंपनी या फर्म का पंजीकरण/ निगमन प्रमाणपत्र | | हां / नहीं |
| 12. | स्व-सत्यापित बोली दस्तावेज़ और खाली वित्तीय बोली पृष्ठ सहित सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर लगी है | | हां / नहीं |

भवदीय,

**(आधिकारिक मुहर सहित, बोलीदाता के हस्ताक्षर)**

**अनुलग्नक – 'ख'**

**निविदा स्वीकृति पत्र**

(लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में,

महालेखाकार,

महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा-I),

राजस्थान, जयपुर, जनपथ, जयपुर 302005

**निविदा का नामः नीलामी के माध्यम से अनुपयोगी/अप्रचलित ई-अपशिष्ट (कम्प्यूटर उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक सामान) के निपटान हेतु निविदा।**

**बोली संख्याः प्र.म.ले./ले.प.-I/ईडीपी/2026-27/के-60/ दिनांकः09/07/2026**

महोदय/महोदया,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए ई-निविदा दस्तावेज वेबसाइट नामशः ........................................................................ से डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं, जो कि उपर्युक्त वेबसाइट पर दिए गए आपके विज्ञापन/एनआईटी के अनुसार है।
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने ई-निविदा दस्तावेजों [अनुलग्नक(कों) इत्यादि जैसे सभी दस्तावेजों सहित] के संपूर्ण नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं, तथा मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।
3. मैं/हम उपर्युक्त ई-निविदा दस्तावेजों/शुद्धिपत्रों की शर्तों को बिना शर्त पूर्णतः स्वीकार करते हैं।
4. मैं/हम घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म/कंपनी को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है/ प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
5. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि दी गई सभी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं और यदि दी गई सूचनाएं गलत/असत्य पाई जाती हैं या उल्लंघन पाया जाता है, तो पूर्ण बयाना राशि/सुरक्षा-जमा को पूरी तरह से जब्त करने सहित किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना आपका विभाग/संगठन बिना कोई नोटिस या कारण बताए तुरंत नीलामी को अस्वीकार कर सकता है अथवा अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
6. मैं/हम यह आश्वासन देते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को किसी अन्य फर्म को आउटसोर्स नहीं करेंगे।

भवदीय,

**(आधिकारिक मुहर सहित, बोलीदाता के हस्ताक्षर)**

**अनुलग्नक – 'ग'**

**(वित्तीय बोली)**

| | |
|---|---|
| बोली संख्याः प्र.म.ले./ले.प.-I/ईडीपी/2026-27/के-60/ दिनांकः - 09/07/2026 | |
| **फर्म/ कंपनी/ आवेदक का नाम तथा पूरा डाक पता** | |
| **मूल्य अनुसूची (दर में परिवहन, कर और अन्य उपरि व्यय शामिल नहीं होने चाहिए)**<br>इस प्रारूप को बोलीदाता द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित नहीं किया जाए तथा इसे सभी संबंधित कॉलम भरने के बाद ही प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा बोलीदाता को निविदा हेतु अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोलीदाताओं को केवल भारतीय मुद्रा में मूल्य दर्ज करने की अनुमति है।<br>जमा कराए जाने वाला कोई भी कर (जीएसटी, इत्यादि), परिवहन या अन्य खर्च बोलीदाता को ही उठाने होंगे और किसी भी स्थिति में उद्धृत मूल्य में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। | |
| **उद्धृत मूल्य, जो इस कार्यालय में जमा किया जाना है, इसमें से कोई कटौती नहीं की जा सकेगी (अंकों में भारतीय रुपये में)** | ₹ |
| **उद्धृत मूल्य (शब्दों में)** | |

***नोटः उद्धृत मूल्य को अंकों एवं शब्दों दोनों में सही ढंग से उल्लेखित किया जाना चाहिए। अंकों एवं शब्दों के बीच अंतर होने की स्थिति में, शब्दों में उद्धृत मूल्य ही मान्य होगा।***

(आधिकारिक मुहर सहित, बोलीदाता के हस्ताक्षर)